

**भा.कृ.अनु.प - .राष्ट्रीय v'0 अनुसंधान केंद्र
सिरसा रोड, हिसार)हरियाणा(-125 001**

फाइल संख्या : 21-620/S&P/24-25

दिनांक : 05-11-2024

धान की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र में धान उपज मात्रा लगभग 550 क्विंटल नीलामी की दिनांक 12.11.2024 को प्रातः 11:00 बजे दी हिसार को – ओपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी लिमिटेड, हिसार के माध्यम से होगी। नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

धान की नीलामी नियम एवं शर्तें:-

1. धान लगभग 550 क्विंटल की नीलामी बिना सफाई के जहाँ है, जैसा है के आधार पर की जाएगी। जो की तुलाई के समय पर कम या ज्यादा संभव हो सकता है।
2. इच्छुक खरीददार धान का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक प्रभारी फार्म से सम्पर्क करके कर सकते हैं व अपनी उच्चतम बोली लगाकर माल खरीद सकते हैं।
3. बोली स्वीकार होने पर धान लगभग 550 क्विंटल की कुल कीमत की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करनी होगी तथा दस दिन के अन्दर केन्द्र के गोदाम/ फार्म से माल उठकार व तुलाई करवाकर शेष राशि जमा करवा करके ले जाना होगा। समय पर माल नहीं ले जाने पर रू 2000/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
4. धान समय पर नहीं उठाने की स्थिति में तुलाई, भराई, लोड करना व ले जाने आदि कार्य के दौरान केन्द्र का नुकसान होने पर खरीददार की जिम्मेदारी होगी तथा नुकसान की भरपाई खरीददार द्वारा करनी होगी।
5. धान की तुलाई, भराई, लोड करना, साधन व्यवस्था तथा अन्य खर्चे खरीददार को स्वयं उठाने होंगे।
6. खरीदे गए माल पर किसी भी प्रकार के कर/ टैक्स, यदि लागू होते हैं तो ऐसे कर/टैक्स खरीददार को स्वयं वहन करने होंगे। किसी भी प्रकार के कर/टैक्स की देनदारी संस्थान की नहीं होगी।
7. किसी प्रकार के विवाद/ मुकदमे का निपटारा, हिसार जिला न्यायालय में ही होगा।
8. किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्र के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होगा।